(जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर की बेवसाइट पर प्रकाशन हेतु)

"सरल लघु अपराध अर्थदण्ड जमा योजना"

जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर स्थित सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ–साथ जनपद गौतमबुद्धनगर में **सरल लघु अपराध अर्थदण्ड जमा योजना** दिनांक 23.05.2015 से प्रारम्भ की जा रही है। उपरोक्त योजना उत्तर प्रदेश के जनपद इलाहाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी एवं बलिया में प्रारम्भ हो चुकी है।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के विरूद्ध लघु प्रकृति का अपराध जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर में लम्बित हैं, यदि वह अपने विरूद्ध लम्बित लघुवाद का निस्तारण स्वीकारोक्ति के आधार पर कराना चाहता है तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत तीन भागों में **विशेष सम्मन प्रारूप संख्या–30** न्यायालय से अर्थदण्ड प्रस्तावित करके जारी किया जायेगा, जिसे वह व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में ले जाकर उसे जमा करके अपना लघु प्रकृति का वाद समाप्त करा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत लघु प्रकृति के वाद के आरोपित व्यक्ति को न्यायालय में आने की आवशयकता नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी जनपद में बैठा हो वह न्यायालय में न आकर वहीं से उपरोक्त योजना के अन्तर्गत न्यायालय से जारी उपरोक्त विशेष सम्मन में प्रस्तावित अर्थदण्ड को अपनी नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में जमा करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

प्रभारी जनपद न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।